राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रहलाद बनाम ग्यारसा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 518/2025 एवं 519/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी की इकजाई मौखिक दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर दोनों अपीलों का इकजाई रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/02/2026 को पेश हो।	
04/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 297 रकबा 3.7100 हैक्टेयर ग्राम चिलपली में स्थित हैं जिसमें वादी का हिस्सा 25/512 तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 50 का स्थित हैं। वादी ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से कि भूमि को उन्नत करने के लिए काफी पैसे खर्च कर दिये हैं एवं उक्त कृषि भूमि को उन्नत करने में लगी सम्पूर्ण राशि वादी ने स्वयं खर्च कि हैं जिससे प्रतिवादी सं. 1 लगायत 50 का किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 50 उन्नत कि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 50 उक्त वादग्रस्त आराजी पर जबरन निर्माण करने एवं बैचान करने को आमादा हो रहे हैं तथा वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा वादी की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा कर रहे हैं जबकी वादी उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है और प्रतिवादी सं. 1 लगायत 50 को पुख्ता निर्माण करने व कृषि भूमि को आबादी में संपरिवर्तन करवाये बिना निर्माण करने का अधिकार नहीं है ना ही अधिकार हैं कि उक्त वाढ़ी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार कि कोई दखलन्दाजी करें। वादी दिनांक 21-06-2022 को जब मौका स्थल पर गयी तो वहा पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 50 कुछ अन्य लोगों के साथ मौके स्थल पर खडे वादग्रस्त आराजियात को बैचान करने कि बात कर रहे थी तथा वादी द्वारा उन्नत कि गई भूमि को अपनी भूमि बताते हुऐ वादी कि कब्जा काश्तशुदा भूमि पर केता का कब्जा करवाने कि बात कर रहे थे तो वादी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 50 को बहुत समझाया कि उक्त भूमि हम सभी कि शामलाती भूमि हैं अभी तक उक्त भूमि का विधिक रूप से तकासमा नहीं हुआ है पहले उक्त भूमि का तकासमा करवा लो और फिर अपने हिस्से	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कि भूमि पर निर्माण करों लेकिन प्रतिवादी सं. 1 लगयात 50 नहीं माने और धमकियां दी कि उक्त भूमि में तुम्हारी काश्तशुदा उन्नत कि गई भूमि का बैचान एवं निर्माण करके तुम्हारी कब्जा-काश्त शुदा भूमि से तुम्हे बेदखल कर कब्जा करेगें। इसलिए वादी के लिए यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 50 डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादित खसरा नम्बर 297 रकबा 3.7100 हैक्टेयर ग्राम चिलपली का कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार तकासमा कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 50 का राजस्व रिकार्ड में लगान अलग-अलग कायम किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को रजिस्टर डाक तलबी कराये एक माह से अधिक हो जाने के पश्चात भी कोई उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 50 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 17/05/2024 पारित करते हुए तहसीलदार आंधी को विवादित खसरा नम्बर 297 रकबा 3.7100 हैक्टेयर ग्राम चिलपली तहसील आंधी का कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार दोनों पक्षों को सूचित करते हुये सरस-नरस एवं बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/2025 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2024 के विरुद्ध अपील संख्या 519/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/2025 के विरुद्ध अपील संख्या 518/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की ईकजाई मौखिक बहस दोनों अपीलों पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस मन जाकर अपीलों का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रहलाद बनाम ग्यारसा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05/04/2024 को प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 16/12/2023 को अपीलार्थी के पिता अर्जुन की मृत्यु हो चुकी थी, जो प्रश्नाधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 2 थे परन्तु उक्त मृत्तक प्रतिवादी संख्या 2 अर्जुन की मृत्यु उपरान्त एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीये पारित कर दी गयी, जो स्पष्ट रूप से मृत्तक पक्षकार के विरुद्ध पारित निर्णय व डिक्रीये है, ऐसेमें मृत्तक के विरुद्ध पारित अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीये कानूनन नलैटी होने से प्रारम्भ से ही शून्य है | अत: अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीये मृत्तक व्यक्ति के विरुद्ध पारित होना स्पष्ट होने से निरस्त की जाकर मृत्तक पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उन्हें भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुन: निर्णय व डिक्रीये पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/2025 मृत्तक व्यक्ति के विरुद्ध पारित होने से निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृत्तक प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुये उन्हें भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुन: विधिसम्मत प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीये पारित करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमश: 519/2025 एवं 518/2025 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जयपुर